

2023/237D

"खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र"
(रा. भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

106

16.08.2023

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
नर्सि जिला नागौर।

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम -सालस की जमावची
संवत् 2076-2079 खाता संख्या 22,40A2में -

~~खतियार का नाम किस्टराराम ड० डियनाराम जाट दर्ज है जबकि
इसमें गैरा छुट्ट नाम सभी दस्तावेजों में किस्टरमल ड० डियनाराम
जाट है।~~

अतः आप किस्टरमल ड० डियनाराम छुट्ट नाम दर्ज
करवाने की कृपा करें।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

दिनांक : 16/08/2023.

प्रार्थी
केसर
किस्टरमल ड० डियनाराम
जाति-जाट
निवासी-सालस

रिपोर्ट पटवारी हल्का - साबास

Sir,
समस्त दस्तावेजों के आधार पर
छातीवार का अस्तु नाम किस्तुरमल ड० किशनाराम-जाट के स्थान पर
छातीवार नाम किस्तुरमल ड० किशनाराम-जाट किया जाना उचित है।

रिपोर्ट भू.अ.निरीक्षक पत्र - छाटवा

12/06/2023
प० लखनस

पटवारी रिपोर्ट व कार्ड के नाम सुवि भावेदन के अनुसार छाटवा पत्र
छाटवा कार्ड के अनुसार किस्तुरमल पुत्र किशनाराम के स्थान
पर सुइ नाम किस्तुरमल पुत्र किशनाराम किया जाना उचित है।

रिपोर्ट तहसीलदार,

12.06.2023
भू.अ.नि. छाटवा

Sir,

पटवारी रिपोर्ट एवं R.I. रिपोर्ट अनुसार छातीवार नाम सुइ किया

जाना उचित है।

A

12/6/2023
नायब तहसीलदार
दुप तहसील, चितावा

आदेश

207
16/6/2023

पटवारी, भू.अ. निरीक्षक व ना. तहसीलदार चितावा
की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। उपरोक्त सभी
की अनुसंधान के आधार पर नाम सुइ की रजिस्ट्रेशन -
किस्तुरमल पुत्र किशनाराम
की स्थान पर किस्तुरमल पुत्र किशनाराम
किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
साबास अधिकारी
नावां (नागौर)